न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला—श्रीगंगानगर

भागूराम उर्फ भागीरथ **बनाम** राजस्थान सरकार।

किस्म मुकदमाः—धारा 136 भूराजस्व अधिनियम — प्रकरण संख्याः— 145/2023

GCMS:- 2023/131

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-10-25		

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। बहस सुनी गई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने स्वयं के राशनकार्ड, वोटरलिस्ट, आधारकार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ के चक 10 एसपीडी खाता नं0 11 प0न0 207/13 (8) कि0न0 10/1, 11/1, 19/1 ता 22/1 = 0.886 है0 अ0क0, प0न0 207/14 (28) कि0न0 1/2, 2/1 = 0.126 है0 अ0क0 = 1.012 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि में 1/4 हिस्सा खातेदारी भूमि एवं चक 11 एसपीडी बी खाता नं0 8 प0न0 85/383 (16) कि0न0 2 ता 9, 12 ता 19, 22/2 ता 25/2 = 4.262 है0, प0न0 85/384 (21) कि0न0 2 ता 5/2 = 0.911 है0, प0न0 207/4 (24) कि0न0 3/1 ता 7/1, 14/1 ता 16/1, 25/1 = 1.454 है0, प0न0 207/10 (15) कि0न0 5,6,15,16,25/2 = 1.240 है0, प0न0 207/11 (22) कि0न0 5/1, 5/2, 6 = 0.506 है0, प0न0 207/12 (25) कि0न0 1,2,9 ता 12, 19 ता 22/2 = 2.480 है0 कुल 10.853 है0 क0 मय खाला खातेदारी भूमि में 1/4 हिस्सा खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज है। बतौर साक्ष्य जमाबंदी संलग्न पत्रावली हैं। प्रार्थी के उपरोक्त खातेदारी भूमि रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भागीरथ के स्थान पर भागुराम दर्ज कर दिया गया हैं। जबकि आधार कार्ड सं0 5736 2273 0141, पहचानपत्र सं0 आरजे/02/010/693077, जन आधार सं0 4832252148, राशनकार्ड सं0 200001514490, पैन कार्ड सं0 ठभ्व्व्9120फ में प्रार्थी का नाम भागीरथ दर्ज हैं। राजस्व रिकार्ड में नाम भागुराम व पहचान के दस्तावेजो में नाम भागीरथ दर्ज होने के कारण प्रार्थी सरकारी योजनाओ का लाभ नही ले पा रहा है एवं ना ही उक्त भूमि को बैंक के रहन रखकर केसीसी उठाकर कृषि कार्य में उक्त ऋण राशि का प्रयोग नही कर पा रही हैं ओर साथ ही फसल नष्ट होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री कृषक पैन्शन योजना के लाभ से भी प्रार्थी वंचित हो रहा है।

प्रार्थी द्वारा अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु कई बार तहसील परिसर के चक्कर लगा चुका है। परन्तु हर बार प्रार्थी को राजस्व कर्मचारियो द्वारा सक्षम अदालत में जाने का कहकर प्रार्थी का नाम दुरूस्त नही किया जा रहा है। प्रार्थी का सही एवं सत्य नाम भागीरथ है। भागुराम व भागीरथ दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। बतौर साक्ष्य सरपंच ग्राम पंचायत सरदारपुरा खर्था की रिपोर्ट दिनांक 28.06.2023 संलग्न प्रार्थना पत्र है एवं इसके अंलावा तहसील पीलीबंगा के चक 4 बीएचएम खाता नं0 15 प0न0 99/370 (4) कि0न0 2 ता 9, 12 ता 18, 23/2 ता 25/2 = 4.479 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में 1/4 हिस्सा है। जिसमें प्रार्थी का नाम भागीरथ दर्ज है। जिससे साबित हैं कि प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ में दर्ज चक 10 एसपीडी व 11 एसपीडी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहब से भागुराम दर्ज है। जिसे प्रार्थी प्रार्थना पत्र के माध्यम से दुरूस्त करवाना चाहता है।

प्रतिवादी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जबाब स्टेटपेश किया जो कि शामिल पत्रावली हैं। जिसमें राज्य हित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की अनुशंषा की हैं।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी, आवेदन पत्र, शपथ पत्र, पहचान के दस्तावेज, सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट हैं कि भागूराम व भागीरथ दोनो नाम प्रार्थी के हैं। राजस्व रिकार्ड व पहचान के दस्तावेजो में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को नुकसान भी हो रहा हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी द्वारा भी कोई आपत्ति पेश नही की गई हैं। इसलिये न्याय हित में व कोई विपरीत साक्ष्य प्रार्थी प्राप्त नही होने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना हम उचित समझते है।

अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी चक 10 एसपीडी खाता नं0 11 प0न0 207/13 (8) कि0न0 10/1, 11/1, 19/1 ता 22/1 = 0.886 है0 अ0क0, प0न0 207/14 (28) कि0न0 1/2, 2/1 = 0.126 है0 अ0क0 = 1.012 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि में दर्ज प्रार्थी के 1/4 हिस्सा खातेदारी भूमि में एवं चक 11 एसपीडी बी खाता नं0 8 प0न0 85/383 (16) कि0न0 2 ता 9, 12 ता 19, 22/2 ता 25/2 = 4.262 है0, प0न0 85/384 (21) कि0न0 2 ता 5/2 = 0.911 है0, प0न0 207/4 (24) कि0न0 3/1 ता 7/1, 14/1 ता 16/1, 25/1 [illegible] है0, प0न0 207/10 (15) कि0न0 5,6,15,16,25/2 = 1.240 है0, प0न0 207/11 (22) कि0न0 [illegible], 5/2, 6 = 0.506 है0, प0न0 207/12 (25) कि0न0 1,2,9 ता 12, 19 ता 22/2 = 2.480 है0 कुल 10.853 है0 क0 मय खाला खातेदारी भूमि में प्रार्थी के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा खातेदारी [illegible] में प्रार्थी का नाम भागुराम पुत्र श्री उदाराम के स्थान पर भागुराम उर्फ भागीरथ पुत्र श्री उदाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। जमाबन्दी के शेष समस्त अंकन पूर्ववत रहेंगे। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.28 17:10:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ